अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/108

1. स्वर्गीय छीतर लाल आत्मज देवा जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कालूलाल पुत्र छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. धनकंवर पुत्री छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. चेतराम आत्मज छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. स्वर्गीय भैरूलाल पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. हेमराज
   1/2. पप्पू
   1/3. रामलाल
   1/4. भंवर लाल पिसरान स्वर्गीय भैरूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जिरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 28/दावा/2006

भैरूलाल पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. छीतर लाल आत्मज देवा जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर साहब बून्दी जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कृष्ण दत्त दाधीच के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जती है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय एवं डिक्री धारा 42 बी के उल्लंघन में पारित किया गया है, अतः राज्य सरकार प्रकरण में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत/माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स करने के लिए स्वतंत्र है । उक्त निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर महोदय, बून्दी एवं एक प्रति तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 04.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

4/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/108

1. स्वर्गीय छीतर लाल आत्मज देवा जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कालूलाल पुत्र छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. धनकंवर पुत्री छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. चेतराम आत्मज छीतर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम निमोठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय भैरूलाल पुत्र धूलीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. हेमराज
   1/2. पप्पू
   1/3. रामलाल
   1/4. भंवर लाल पिसरान स्वर्गीय भैरूलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जिरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

––––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 (मृतक) भैरूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चावंछ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 328 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी छीतर के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी ने संवत् 2014 में वादी के पिता को 500/– रूपये में बेचान करके कब्जा दे दिया तब से ही उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार वादी के पिता काबिज अपने जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी उक्त भूमि पर कानूनन कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार लिखा जावे तथा प्रतिवादी छीतर का नाम विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । दौराने वाद यदि प्रतिवादी उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो वादी को कब्जा वापस दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1 मृतक छीतर लाल के वारिसान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी छीतर लाल ने भैरूलाल को वादग्रस्त आराजी का कभी भी बेचान नहीं किया है तथाकथित बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है । प्रतिवादी अपीलान्ट जाति से मीणा है जो अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं । वादी भैरूलाल व उनके कायममुकामान सवर्ण हैं । इस कारण प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खाते की भूमि पर वादी भैरूलाल को तथाकथित बेचान के आधार पर जो अपंजीकृत है एवं धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में है, कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए दवा वादी डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय प्रतिवादी छीतर लाल व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में पारित किया है । प्रतिवादी क्रम 1 छीतर लाल की मृत्यु हो चुकी है उसके उत्तराधिकारियों को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.

02.2015 को पटवारी हल्का के पास जाने पर एवं उसके द्वारा भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज नहीं होने के कारण उसे जमाबन्दी की प्रतिलिपि नहीं दी । दिनांक 23.02.2015 से पूर्व अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । अपीलान्ट ने दिनांक 25.02.2015 को नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 04.03.2015 को नकल प्राप्त हुई । तत्पश्चात् न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा मृतक भैरूलाल के द्वारा हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया । प्रतिवादी छीतरलाल ने वादी भैरूलाल को वादग्रस्त आराजी का कभी भी बेचान नहीं किया है । तथाकथित बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है जिससे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रतिवादी छीतर लाल और उनके वारिसान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जबकि वादी और उनके कायममुकामान सवर्ण जाति के हैं । इस कारण तथाकथित बेचान जो कि अपंजीकृत है धारा 42 बी के उल्लंघन में है जिससे भैरूलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया है । धारा 42 बी के उल्लंघन पर प्रतिबन्ध दिनांक 22.09.56 को प्रभावशील था इस कारण बेचान Void- abinitio है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर खतोदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । निर्णय प्रतिवादी छीतर एवं उनके वकील साहब की अनुपस्थिति में पारित किया गया है । प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है । अपीलान्ट उनके कायममुकामान हैं । धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है । अपीलान्टगण को निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 23.02.2015 को हुई । अतः अपील के विलम्ब को शमन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 निरस्त फरमाया जावे । ऐसा निर्णय जो कि अवैध है उसके लिए मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 211, आरबीजे 2013 (20) पेज 284, आरआरडी 1998 पेज 31, आरबीजे 2017 (24)पेज 377, आरआरडी 2016 पेज 759, आरआरडी 2012 (1) पेज 648, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1992 पेज 628, आरआरडी 2016 पेज 464, आरआरडी 2013 (1) पेज 67, आरआरटी 2015 (2) पेज 868, आरबीजे 2011 (18) पेज 387, आरबीजे 2011 (18) पेज 343, आरबीजे 2011 (18) पेज 350, आरआरटी 2011 (2) पेज 1253, आरआरडी 1992 पेज 275 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी ने संवत् 2014 में वादी के पिता को 500/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभलाया दिया था । वादग्रस्त आराजी पर वादी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त रहे । प्रतिवादी अपीलान्ट का संवत् 2014 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में सन् 1984 में दावा पेश किया गया था जो डिक्री किया । अपील गंभीर रूप से अवधि वाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । सन् 1987 के निर्णय के खिलाफ सन् 2015 में

अपील पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.1987 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 1993 (2) एससीसी पेज 162, आरबीजे 2018 (एससी) पेज 756, आरआरडी 2000 पेज 821, डीएनजे 2016 (1) राज0 पेज 201, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 829, डीएनजे 2008 (1) राज0 पेज 39, आरआरडी 1994 पेज 23, आरआरडी 2012 पेज 243, आरआरडी 1980 पेज 601 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रसीदात लगान प्रदर्श– 1 लगायत 23 संलग्न है । असल विक्रय पत्र प्रदर्श– 24, धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–26, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम चावंछ की आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि छीतर वल्द देवा कौम मीणा के खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में सलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 328 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा कायम किये गये हैं ।

12. वादी के द्वारा बयान वादी भैरूलाल, गंगाबिशन, कालू, कंवर लाल, मोहनलाल, सांवला कराये गये हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है परन्तु दिनांक 05.05.1987 की आदेशिका के अनुसार साक्ष्य पेश नहीं होने पर साक्ष्य बन्द की गई और दिनांक 12.05.1987 को गैर हाजिर रहे हैं और उसी दिन दावा डिक्री किया गया है । निर्णय के खिलाफ अपील सन् 2015 में पेश की गई है जो कि गंभीर रूप से अवधि बाधित है और लगभग 28 वर्ष बाद पेश की गई है । अपील के साथ धारा 05 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 की मृत्यु हो चुकी है, निर्णय की जानकारी दिनांक 23.01.2015 को हुई । अपील में जो मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई है उसके अनुसार छीतर लाल की मृत्यु दिनांक 24.07.2010 को हुई है । दावे का निर्णय सन् 1987 में हुआ है और उसके उपरान्त छीतर की मृत्यु सन् 2010 में हुई है । इस विलम्ब को अपीलान्ट के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी छीतर लाल के द्वारा सन् 1987 से लेकर सन् 2010 तक इस निर्णय के खिलाफ किन परिस्थितियों में अपील पेश नहीं की गई है। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आराजी पर सवर्ण को खातेदार दी गई है जो धारा 42 बी के उल्लंघन में है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस क्रम में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरबीजे 2018(11) पेज 387 यहॉ चस्पा होती है । परन्तु इस प्रकरण में गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित किये जाने से पूर्व मियाद के प्रश्न का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । अपीलान्ट द्वारा अपील लगभग 28 वर्ष विलम्ब से पेश की है और विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है। सन् 2010 तक प्रतिवादी छीतर लाल जीवित थे उनके द्वारा अपील नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बताया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि छीतर लाल अधीनस्थ न्यायालय में बाद तामील उपस्थित भी हुए थे और उनके द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया है। इसके उपरान्त

दिनांक 12.05.1987 को उपस्थित नहीं हुए हैं । ऐसी स्थिति में सन् 1987 से 2010 तक अपील पेश नहीं करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा द्वारा उद्धरत नजीर आरबीजे 2018 (एससी) पेज 756, डीएनजे 2016 (1) राज0 पेज 201, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 829 यहॉ चस्पा होती हैं ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी सन् 1987 से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार वादीगण के खाते में दर्ज है और इस आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा हो इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में एवं इस न्यायालय में पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के उन्हें कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में इस स्टेज पर प्रदान नहीं किये जा सकते । अपीलान्ट की कब्जा प्राप्त करने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है । यद्यपि जो विक्रय पत्र असल अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है वह अपंजीकृत है और धारा 42 बी के उल्लंघन में है । जब वादग्रस्त आराजी धारा 42 बी के उल्लंघन में अपंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की गई है एवं कब्जा वादीगण को संभलाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सन् 1987 में उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं तो ऐसी स्थिति में इस आराजी के बाबत् धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने अथवा रेफरेन्स पेश करने के लिए भूमिधारक तहसीलदार, के0 पाटन स्वतंत्र है परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना भी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है । धारा 42 बी के उल्लंघन में किये गये अन्तरण के उपरान्त धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी को सिवसायचक दर्ज किया जा सकता है परन्तु खातेदार जो कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उन्हें पुनः इस आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ।

15. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत की गई नजीर आरबीजे 2013 पेज 283 राज्य सरकार द्वारा पेश किये रेफरेन्स में हुए विलम्ब से सम्बन्धित है । इसी तरह से आरआरडी 2016 पेज 464 भी राज्य सरकार के ओर से किये गये रेफरेन्स से सम्बन्धित है । इसी प्रकार आरआरडी 1996 पेज 457 यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित नहीं की है । यद्यपि निर्णय प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पारित किया गया है और धारा 42 बी के उल्लंघन में किया गया है परन्तु क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था । आरआरडी 1994 पेज 23 यहॉ चस्पा होती है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जती है । चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय एवं डिक्री धारा 42 बी के उल्लंघन में पारित किया गया है, अतः राज्य सरकार प्रकरण में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत/माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स करने के लिए स्वतंत्र है । उक्त निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर महोदय, बून्दी एवं एक प्रति तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जावे ।

17. निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा